फर्द अहकाम
(नियम 26)
अदालत – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर, जिला हनुमानगढ़

जोगेन्द्र सिंह बनाम संजय

किस्म मुकदमा– नम्बरी फौजदारी /2026

20.07.2026

परिवादी अधिवक्ता **श्री सुरेन्द्र प्रताप भारी** उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया गया।

परिवादी **जोगेन्द्र सिंह** द्वारा हस्तगत परिवाद **संजय** के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने उसे विधितः वसूलनीय राशि की अदायगी हेतु चैक संख्या **000007** राशि **1,00,000/–** दिनांक **02.01.2025** सिरकने/भुगतान प्राप्त होने का आश्वासन दिया था परंतु उक्त चैक "**Funds Insufficient**" के आधार पर अनादरित हो गया। अभियुक्त ने उक्त चैक की राशि की मांग के संबंध में परिवादी की ओर से नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद भी उक्त राशि की अदायगी नहीं की है। परिवादी ने परिवाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में सरसरी साक्ष्य बाबत् स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेख चैक, बैंक रिटर्न मीमो, डाक रसीद, नोटिस प्रति एवं अन्य प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजात आदि का अध्ययन/अवलोकन किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद मियाद अवधि के भीतर पेश किया जाना प्रकट होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **संजय** के विरूद्ध धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के आरोप में आगे कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार हैं। अतः उक्त आरोप में अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है, प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

परिवादी द्वारा गवाह सूची मय तलवाना शुल्क पेश करने पर अभियुक्त **संजय पुत्र लीलू राम निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर** को जरिए **जमानती वारण्ट 1,000/–**तलब हो।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली तलबी अभियुक्त में दिनांक **22.12.2026** को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला- हनुमानगढ़